Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail- cepwdua@gmail.com

पत्रांकः–702/63 व्यघ–सा0–मान0/16 दिनांक 14/09/2020

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 440/।।।(1)/15 –62 (अधि0)/2006 दिनांक 27.07.2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड रेखाकार/ मानचित्रकार अधिष्ठान सेवा (लोक निर्माण विभाग) नियमावली, 2015 के भाग–3 (भर्ती का स्रोत) 5(एक) (ख) में निम्न प्राविधान है :–

ऐसे स्थाई अनुरेखकों (ट्रेसर/रेखाकार) में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने इस रूप में अस्थाई सेवा समेत कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो और जो मानचित्रकार के पद के लिये विहित अपेक्षित अर्हताएं रखते हों;

परन्तु अपेक्षित संख्या में अनुरेखक प्राप्त न होने की दशा में मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई अमीन/मेट/बेलदार/अनुसेवक में से जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो और जो मानचित्रकार के पद के लिये विहित अर्हताएं रखते हों, पदोन्नति द्वारा।

परन्तु मानचित्रकार के पद पर भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि संवर्ग में यथास्थिति 10 प्रतिशत पद प्रोन्नत व्यक्तियों द्वारा और शेष सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेगें।

परन्तु यह कि यदि, किसी वर्ष में मानचित्रकार के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–1182/।।।(1)/19–62(अधि0)/06 दिनांक 17.09.2019 द्वारा उक्त नियमावली में वर्णित अमीन/मेट/बेलदार/अनुसेवक के साथ–साथ वर्क ऐजेण्ट के पदधारकों को भी मानचित्रकार के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता श्रेणी में रखा गया है।

शासनादेश संख्या 1813/।।।(1)/15–190(PWD)/01 दिनांक 15.12.2015 द्वारा मानचित्रकार के स्वीकृत 107 पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड रेखाकार/ मानचित्रकार अधिष्ठान सेवा (लोक निर्माण विभाग) नियमावली, 2015 के भाग–3 (भर्ती का स्रोत) 5(एक) (ख) एवं शासनादेश संख्या–1182/।।।(1)/19–62(अधि0)/06 दिनांक 17.09.2019 में निहित व्यवस्थानुसार 10 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत मानचित्रकार के पद पर पदोन्नति हेतु 11 पद बनते है, जिसका **रिक्त पदों के सापेक्ष अनुरेखक के पद पर पात्र कार्मिक उपलब्ध न होने की दशा में** पृथक–पृथक अनुपात निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:–

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों का सन्दर्भ	कोटा जिसका प्राविधान किया गया है।	कोटे के पश्चात् पदोन्नति हेतु निर्धारित पद
1	अमीन	145	शासनादेश संख्या 1813/।।। (1)/15– 190 (PWD)/01 दिनांक 15.12.2015	145X11= 0.26 6127	शून्य पद
2	मेट	944	शासनादेश संख्या– 834/।।।(1)/06– 190 (पी0डब्लयू0डी0)/2001 टी0सी0–2 दिनांक 06.10. 2006	944X11= 1.69 6127	दो पद
3	बेलदार	3960	––तदैव––	3960X11= 7.10 6127	सात पद
4	अनुसेवक	286	––तदैव––	286X11 = 0.51 6127	एक पद
5	वर्कएजेन्ट	792	––तदैव––	792X11 = 1.42 6127	एक पद
पदों का योग		6127			

ह0/
(हरिओम शर्मा)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष

क्रमशः पृष्ठ–2 पर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय / राष्ट्रीय राजमार्ग / पी0एम0जी0एस0वाई0 / ए0डी0बी0 / वर्ल्ड बैंक, लोक निर्माण विभाग, ..., उत्तराखण्ड।
3. वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ... वृत्त, लोक निर्माण विभाग, ...।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, ... खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ...।
6. अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित् करें।
8. प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अमीन संघ, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी (सम्बद्धः–पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचाई खण्ड, नई टिहरी)।
9. प्रदेश अध्यक्ष, चतुर्थ श्रणी कर्मचारी संघ, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।
10. प्रदेश अध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी संघ, उत्तराखण्ड, प्रधान कार्यालय, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कार्यशाला (देहरादून)।
11. पत्रावली संख्या–63(ए)व्यघ–सामान्य / 2019 के अभिलेख हेतु।

15/9/2020

प्रमुख अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष

15/09/2020